HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 814/2026

Ramotar S/o Ratiram Meena, Aged About 47 Years, R/o Sop, Police Station Nadoti, District Karauli, Rajasthan. (At Present Confined In District Jail Karauli).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Gajveer Singh Rajawat Mr. Pushpendra Singh
For Respondent(s)	:	Ms. Aarti Sharma, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA
Order

25/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यह जमानत प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना नादौती जिला करौली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 373/2025 अपराध अंतर्गत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उसके आधिपत्य से 5.30 ग्राम स्मैक बरामद होना बताया है जो अल्प मात्रा से 0.3 ग्राम ही अधिक है। उनका तर्क है कि प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व के तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताया गया है उनमें से एक वर्ष 1994 का है, दूसरा प्रकरण एनडीपीएस एक्ट का है जो स्मैक की 1.9 ग्राम मात्रा से सम्बन्धित है। उनका तर्क है कि प्रार्थी दिनांक 30.12.2025 से अभिरक्षा में है। आरोप–पत्र पेश हो चुका है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। ऐसी स्थिति में उसे जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त से ही बरामदगी हुई है, एनडीपीएस एक्ट का गम्भीर अपराध है। उसके विरूद्ध पूर्व में एक अन्य प्रकरण एनडीपीएस एक्ट का दर्ज रहा है, अतः उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्त के आधिपत्य से 5.30 ग्राम स्मैक की बरामदगी हुई है, जो लघु मात्रा से कुछ ही अधिक और वाणिज्यिक मात्रा से कम है। प्रार्थी दिनांक 30.12.2025 से अभिरक्षा में है। प्राथी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का समान प्रकृति का प्रकरण भी 1.9 ग्राम स्मैक की बरामदगी से सम्बन्धित है जो न्यूनतम मात्रा का प्रकरण रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **रामोतार पुत्र रतिराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना–पत्र इस शर्त के साथ कि प्रार्थी–अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां** प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे इस मामले में जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रार्थी/अभियुक्त को यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि वह प्रकरण के विचारण तक सम्बन्धित पुलिस थाने में प्रत्येक माह की 10 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। सम्बन्धित थानाधिकारी उसकी उपस्थिति का विवरण प्रत्येक माह विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। अभियुक्त द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्त के जमानत निरस्तीकरण के सम्बन्ध में प्रार्थना–पत्र पेश करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /26